न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 22/2016

बउनवान

1. सूरजमल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीना निवासी तुमड़ा तह0 व जिला बारां राज0
2. नवलकिशोर पुत्र श्री सूरजमल जाति मीना निवासी तुमड़ा तह0 व जिला बारां राज0

(अपीलांट)

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र श्री धनराज जाति ब्राह्मण निवासी तुमड़ा तह0 व जिला बारां राज0
2. कृष्णमुरारी पुत्र श्री धनराज जाति ब्राह्मण निवासी तुमड़ा हाल मुकाम सर्राफा बाजार की दुकान बारां तह0 व जिला बारां
3. विष्णुप्रसाद पुत्र श्री धनराज जाति ब्राह्मण निवासी तुमड़ा हाल मुकाम नाकोड़ा कॉलोनी तेल फेक्ट्री बारां तह0 व जिला बारां
4. पुरूषोत्तम पुत्र श्री धनराज जाति ब्राह्मण निवासी तुमड़ा तह0 व जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 17.08.2016 प्रकरण सं. 5/2013 न्यायालय तहसीलदार बारां कार्यवाही धारा 251 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(रेस्पोडेंट कम 1,2 व 4)**

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज0)

निर्णय दिनांक 21.03.2022

अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 17.08.2016 से
अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 के तहत इस आ[illegible] की प्रस्तुत की गई कि अपीलांटगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त
की आराजी खसरा नंबर 4 व 12 की [illegible]ड़ा में स्थित है। अपीलांटगण उक्त आराजी पर
खसरा नंबर 8 व 9 जो [illegible] सरकारी से होते हुए खसरा नंबर 10 व 11 की
मध्य मेड़ पर होकर ख[illegible] खसरा नंबर 11 व 12 की मेड पर
होकर खसरा नंबर 4 पर पहुंचते हैं। उक्त रास्ते का उपयोग [illegible]टगण अपने पूर्वजों के
समय से ही करते चले आ रहे हैं। आरा[illegible] खसरा नंबर 11 रेस्पो[illegible] 1 ता 4 का है। रेस्पो.
कम 1 ता 4 द्वारा अपीलांटगण का रास्ता बन्द करने पर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय
में पेश किया जिसे निर्णय दिनांक 17.08.2016 द्वारा अस्वीकार किया जो निरस्तनीय है।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:00 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को ग्राम खैराली के खसरा नंबर 868, 891 गैरमुमकिन खाल व चारागाह व खसरा नंबर 3 पर होकर रास्ता दिया गया है जो कभी भी अपीलांटगण की भूमियों पर आने जाने का रास्ता कभी भी नहीं रहा है। उक्त रास्ता खाल नाल की शक्ल में है, साथ ही खसरा नंबर 3 के खातेदार को भी इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांटगण को दिये गये रास्ते की दूरी गांव से खेत तक 3 किलोमीटर है जबकि अपीलांटगण के रेस्पो. क्रम 1 ता 4 द्वारा रोके गये रास्ते की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है जिसका उपयोग अपीलांटगण अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलांटगण खसरा नंबर 12 पर जाने के लिये कौन कौन से खसरा नंबर की मेड़ से जायेगे इसका भी निर्णय में कोई हवाला नहीं दिया गया है। जबकि खसरा नंबर 12 के नजदीक सरकारी रास्ता खसरा नंबर 8 व 9 स्थित है। अधीनस्थ्य न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर रिपोर्ट दिनांक 25.01.2014 पर गौर नही किया, जिसमें खसरा नं. 10 से दक्षिण की ओर इसी खसरा नं. के मध्य होकर रास्ते के निशानात होना पाया गया है। अपीलान्टगण को खसरा नं. 10 में बहताली में होकर काश्त करने हेतु आना जाना रेस्पोडेन्टगण ने अपने जवाब में अंकित किया है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंदेखी करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण को अपनी आराजी खसरा नं. 12 व 4 पर आने जाने के लिए व कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए खसरा नं. 8 व 9 गैरमुमकिन सरकारी रास्ता से होते हुए खसरा नं. 10 व 11 की मध्य मेड पर होकर रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट क्रम 1, 2 व 4 जर्ये अभिभाषक उपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटगण के अपने खाते के आराजीयात खसरा नं. 4 व 12 पर पूर्वजो के समय से प्रचलित रास्ते खसरा नं. 8 व 9 गैरमुमकिन रास्ता सरकारी से होते हुए खसरा नं. 10 व 11 की मध्य मेड पर होकर खसरा नं. 12 पर, तथा खसरा नं. 11 व 12 की मध्य मेड पर होकर खसरा नं. 4 पर पहुंचते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उक्त प्रचलित रास्ते के स्थान पर ग्राम खेराली के खसरा नं. 868, 891 गै0मु0 खाल व चारागाह तथा खसरा नं. 3 पर होकर रास्ता दिया गया है, जो कि 3 किलोमीटर लम्बा है, जबकी अपीलांटगण का प्रचलित रास्ता आधा किलोमीटर लम्बा है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नं. 3 के खातेदार को भी पक्षकार बनाकर उसकी सुनवाई नही की है। ना ही प्रकरण में प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2014 पर भी कोई गौर नही कर मनमाना निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2016 निरस्त फरमाया जावें। तथा अपीलांटगण को अपने खाते की आराजी पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने लेजाने के लिए खसरा नं. 8 व 9

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:00 IST
Reason: SelfAttested

गै0मु0 सरकारी रास्ता से होते हुए खसरा नं. 10 व 11 की मध्य मेड पर होकर रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंटगण ने कथन किया कि अपील अपीलांटगण मिथ्या, बनावटी, निराधार एवं धारा 251 आरटीए के प्रावधानों से असंगत है। खसरा नं. 4 व 12 को अपीलांटगण के पूर्वजो ने वर्षो पहले पडोसी काश्तकार गोपाल नट को जर्ये इकरार नामा बेचान कर आराजी का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। अपीलांटगण के पूर्वज भी हाल खसरा नं. 4 व 12 की आराजी पर ग्राम खेराली के कांकड की हाल खसरा नं. 868 की आराजी के रास्ते से आते जाते थे। गोपाल नट के बाद उसके पुत्र राजाराम व प्रहलाद ने हाल खसरा नं. 4 व 12 की आराजी को 25 वर्षो तक ग्राम खेराली के कांकड की खसरा नं. 868 के रास्ते से काश्त किया। अपीलांटगण ने बेईमानी पूर्वक राजाराम व प्रहलाद को जबरन बेदखल कर दिया। इस कारण राजाराम व प्रहलाद ने उनके खाते की ग्राम खेराली के कांकड की आराजी खसरा नं. 22, 13, 24 जो अपीलांटगण की आराजी के आवागमन के रास्ते खसरा नं. 868 पर स्थित होने से अपीलांटगण ने पूर्व रास्ते को बदल कर हाल खसरा नं. 10 के मध्य बहताली के रास्ते आना जाना प्रारम्भ कर दिया। अपीलांटगण जबरन रेस्पोडेंटगण की आराजी में से रास्ता चाह रहे है। तथा नया रास्ता कायम कराना चाहते है। अतः अपील अपीलांटगण निरस्त फरमाई जावें। वकील रेस्पोडेंटगण ने विधि दृष्टांत आर.बी.जे. 2010 पृष्ठ संख्या 472 प्रकरण पर चस्पा होने का कथन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को दिये गये रास्ते खसरा नंबर 3 की चौड़ाई 20 मीटर व खसरा नंबर 10 –11 के मध्य स्थित मेड़ की लम्बाई 130 मीटर होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रर्थी द्वारा खातेदारी में चाहा गया रास्ता 130 मीटर कांकड़ के रास्ते 20 मीटर से करीब 6–7 गुना लम्बाई में पड़ता है जो कृषि में होने वाले संभावित नुकसान की दृष्टि से न्यायोचित नहीं लगने के कारण खसरा नंबर 10–11 में से रास्ता कायम करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया तथा खसरा नंबर 3 के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना तथा उसका पक्ष सुने बिना खसरा नंबर 891, 868, 3 में से रास्ता दिया जबकि धारा 251 आर.टी.ए. के तहत किसी प्रचलित रास्ते को खुलासा कराने के ही आदेश तहसीलदार द्वारा दिये जा सकते हैं, नया रास्ता कायम करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां का निर्णय [illegible] निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार, बारां को इस दिश[illegible] के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर [illegible] 251 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिसंगत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.20[illegible] को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:00 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)